समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना कब प्रारंभ की गई

- वर्ष 1981

पात्रता के मापदंड

- निराश्रित हो।

अर्हताएं

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

₹सहायता

- ₹ 600 प्रतिमाह

₹सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

- निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- निराश्रित का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

₹स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

- ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

₹आवेदन निराकरण की समय - सीमा

- लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

मध्यप्रदेश सरकार की एक योजना वृद्धजनों को पेंशन देने की है। यह योजना भारत शासन से अलग है जो पेंशन 600 रुपये थी उसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ाकर एक हजार रुपये मासिक करने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा सहायता और सम्मान के लिये बनाई गई इन योजनाओं के अतिरिक्त दो दिशाओं में और काम आरंभ किया है। एक तो प्रत्येक जिले में कम से कम ऐसा शेल्टर होम जिसमें जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक सम्मान सहित रह सकें और दूसरा उन संस्थाओं को प्रोत्साहन जो इस दिशा में काम कर रही हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से सरकार समाज में एक जागरूकता का भी अभियान चलाना चाहती है, जिससे परिवार जन अपने घर के वरिष्ठजनों का अपमान न करें। आखिर उनकी श्रम साधना से ही तो आज की पीढ़ी इतनी योग्य बनी है कि वह धरती से आसमान तक अपनी सफलता के परचम लहरा रही है। इसलिए आवश्यक है कि आधुनिक पीढ़ी उनका सम्मान करे और उनके अनुभवों का लाभ लेकर सफलता के साथ अपना जीवन निरापद बना सके।

मध्यप्रदेश शासन

दिव्यांग, वृद्ध और विधवाओं का ध्यान
बढ़ाई पेंशन राशि और लिया संज्ञान

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

सम्मान राशि में वृद्धि

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय वृद्धावस्था
पेंशन

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय नि:शक्त
पेंशन

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय विधवा
पेंशन

योजनाओं में पेंशन राशि बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह की गई।

- समग्र सामाजिक पेंशन सुरक्षा योजना में वृद्ध, दिव्यांग, परित्यक्ताओं, कल्याणियों, अविवाहित महिलाओं, कन्या अभिभावकों और वृद्धाश्रमवासियों की पेंशन राशि भी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह की गई।
- 6 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित, बहु विकलांग, प्रमस्तिष्क घात और स्वपरायणता से ग्रस्त लोगों को पात्रतानुसार 600 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान करने का निर्णय।
- प्रदेश के 40 लाख 37 हजार 553 लोग होंगे लाभान्वित।

बदलाव के लिए संकल्पित - मध्यप्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी